भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-133
सोमवार, 04 फरवरी, 2019/15 माघ, 1940 (शक)

रोजगार वृद्धि और बेरोजगार संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण

133. श्री रवीन्द्र कुमार जेनाः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास असंगठित क्षेत्र जहां देश में अधिकतम रोजगार उपलब्ध है, में रोजगार वृद्धि और बेरोजगारी के स्तर से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण और विश्लेषण करने का कोई उपाय या नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) 2016 के बाद से असंगठित क्षेत्र के रोजगार पर विमुद्रीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है;
(ग) सरकार द्वारा रोजगार वृद्धि के पक्ष में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(घ) जीएसटी के कारण असंगठित क्षेत्र के समक्ष आ रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या 2016 में विमुद्रीकरण के बाद देश के सकल घरेलू उत्पादन में असंगठित क्षेत्र के योगदान में कमी या वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीवाई) ने सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) की शुरूआत की है। पीएलएफएस का प्राथमिक उद्देश्य शहरी क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर), कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूरआर) जैसे मुख्य श्रम बल सूचकों के त्रैमासिक परिवर्तनों की माप के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र दोनों में विभिन्न श्रम बल सूचकों के वार्षिक अनुमानों का सृजन करना है।

(ख): असंगठित क्षेत्र में रोजगार पर नोटबंदी के प्रभाव से संबंधित सूचना का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

(ग): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करके और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है।

(घ): वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने व्यवसाय, व्यापार और संबद्ध आर्थिक कार्यकलापों की बाधाओं को दूर करके आर्थिक विकास की गति को सुधारने के लिए उल्लेखनीय अवसर प्रदान किया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। आशा है कि इससे और-अधिक आर्थिक विकास होगा तथा देश की युवा आबादी के व्यापक समूह के लिए रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। रोजगार पर जीएसटी के प्रभाव का पता लगाना संभव नहीं है।

(ङ): असंगठित क्षेत्र के लिए पृथक प्रकाशित आंकड़े पूर्ण रूप से या नोटबंदी से ठीक पहले या बाद की समयावधि के लिए आंकड़े नहीं हैं। हालांकि, घरेलू क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन (जीवीए), जिसे वर्तमान कीमतों में 2015-16 में रु.54,67,086 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में रु..59,74,226 करोड़ पर असंगठित क्षेत्र के बंद सन्निकटन के रूप में माना जा सकता है।

******